माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

: कार्या:– (0755) 2551650, फैक्स – (0755) 2552061

क्रमांक/ 905 /परीक्षा समन्वय/2018 भोपाल दिनांक 28 /09/ 2018

JD/Vidhya- 1809
Date- 01/10/18

PA/CP/1/m/1581
29.9.18

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:– अशा. संस्थाओं के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन बिना विलम्ब शुल्क के साथ भरवाए जाने विषयक।

संदर्भ:– आपका पत्र क्र. विद्या/मान्यता/2956–57 भोपाल दिनांक 27.09.2018।

—//—

उपरोक्त संदर्भित पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है, कि अशासकीय संस्थाओं जिन की मान्यता अमान्य की गई है, ऐसी संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन विलम्ब शुल्क ₹2,000/– के विशेष प्रकरण मानते हुए नियमित परीक्षा आवेदन भरने की छूट देने एवं जिन संस्थाओं को आपके द्वारा 20 सितम्बर के बाद मान्यता दी गई, उन संस्थाओं के छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र बिना विलम्ब शुल्क के भरने हेतु छूट प्रदान करने हेतु लिखा गया है।

उपरोक्त के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है–

1 जिन संस्थाओं को आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा 20 सितम्बर के बाद मान्यता दी गई है, उन संस्थाओं के छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र बिना विलम्ब शुल्क के 30 सितम्बर तक भरने की पूर्व से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

2 **एम सी सी क्र 203/2001 में**–माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिन्दु क्रमांक (8–a) उल्लेख है कि प्रत्येक शाला प्रवेश की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूर्ण कर ले, 12 अगस्त के पश्चात् उक्त तारीख में वृद्धि किसी भी दशा में नहीं की जाएगी।

3 **मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा 8**– (चचच) के अनुसार ''यदि अमान्यता शैक्षणिक सत्र के मध्य प्रवर्तित की जाती है, तो इस प्रकार अमान्य की गई शाला के उन विद्यार्थियों को, जिन्हें कि मण्डल की परीक्षाओं में प्रवेश दिया गया होता, परीक्षा में प्रायवेट तौर पर बैठने के लिये अनुज्ञात किया जायगा।''

4 जिन संस्थाओं को शिक्षण सत्र 2018–19 के लिए मान्यता नहीं दी है, उन संस्थाओं के छात्रों को आज दिनांक 28.09.2018 की स्थिति में अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म भरवाये जाने के पूर्व प्रवेश देना आवश्यक होगा, जो मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2001 एवं मण्डल अधिनियम में विहित प्रावधानों के विपरीत होगा।

अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आज की स्थिति में मान्यता अप्राप्त संस्थाओं के छात्रों को नियमित रूप से अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में परीक्षा फार्म भरवाना जाना एवं शुल्क में छूट दिया जाना संभव नही होगा।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहेंगे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 /09/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/906/परीक्षा समन्वय/2018

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक– माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3– निज सचिव–अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
4– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

JD 29/9

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

16

E:\SAMANVAY\exam\exam 1819\letter1819.doc